राजस्थान—सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04/2017

दायर दिनांक – 06.03.2017

फैसल दिनांक –22.05.2019

1. श्री बुद्धपुरी पुत्र गणेशपुरी साधु निवासी खुमाणपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सूर्यसिंह पुत्र डूलेसिंह राजपूत निवासी खुमाणपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नि सूर्यसिंह राजपूत निवासी खुमाणपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)
3. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गलियाकोट जिला डूंगरपुर

रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति– 1. श्री प्रवीण शुक्ला, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. श्री लक्ष्मणसिंह बियोला, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट
3. पेरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलार्थी की ओर से विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खुमाणपुर के आ.नं. 113/2 मे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 24.06.2002 को आवंटित भूमि रकबा 2 बीघा के विरूद्व भूमि आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्यानुसार प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व न्यायालय हाजा में प्रार्थना–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का मौजा खुमाणपुर की आ.सं. 113/2 के रकबा 2 बीघा पर विगत 50 वर्षो से अपने पिता के समय से काश्त कब्जा हैं तथा भूमि को काश्त योग्य बनाने में रूपया भी व्यय किया हैं। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर काश्त कब्जा होने से उसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत नोटिस भी दिये गये हैं तथा अपीलार्थी ने कब्जे के संबंध में पेनाल्टी भी सरकार में जमा कराई हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलार्थी के कब्जे के तथ्य को छिपाते हुए पटवारी से मिलीभगत कर दिनांक 24.06.2002 को उक्त आराजी भूमि में रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन करवा लिया हैं जो नियमों एवं मौके की वास्तविक स्थिति से विपरीत होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं जवाब प्रस्तुत किया। उभयपक्षों की ओर से उपस्थित अभिभाषकगण द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब करने अनुरोध किया गया। न्यायहित में तहसीलदार गलियाकोट से मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई जो संलग्न पत्रावली हैं।

Scanned by CamScanner

उभयपक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण की बहस समायत की गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि आराजी सं. 113/2 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि अपीलान्ट के खातेदारी खेतों के पास की भूमि हैं जिस पर अपीलान्ट का कब्जा होकर, इस भूमि से अपने खेतों में आता जाता हैं। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा हैं जिस वावत उसे धारा–91 के तहत नोटिसे भी प्रदान की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा पेनाल्टी भी जमा कराई गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हैं एवं काश्त नहीं की हैं तथा भूमि मौके पर पड़त हैं। विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा पटवारी से मिलिभगत करते हुए जरिये मीस रिजप्रेन्टेशन एवं फेाड के भूमि का आवंटन करवा लिया हैं जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। प्राथी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट स. 1 व 2 के नाम रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं किन्तु अपीलान्ट का विवाद अपीलान्ट के खातेदारी खेतों के आगे आवंटित भूमि जिसका रकबा मौका रिपोर्ट अनुसार 08 बिस्वा को लेकर ही हैं। विपक्षीगण सं. 1 व 2 के नाम उक्त आवंटन बना रहने से प्रार्थी का आवागमन के मुख्य मार्ग से अपने खेतों में आवागमन में परेशानी एवं रूकावट होकर हमेशा ही विवाद एवं वाद विविधता की स्थिति बनी रहेगी जिससे प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2002 में बाद जांच विधिवत भूमि का आवंटन किया गया है जिस पर आवंटी काबिज हैं। रेस्पोडेन्टगण को खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके हैं ऐसी स्थिति में आवंटन के 17 वर्षो पश्चात् आवंटन को खारिज कराने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं हैं। रेस्पोडेन्टगण के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि आवंटित भूमि पर काश्त की हैं जिसकी खसरा गिरदावरी सं. 2071–74 प्रस्तुत की हैं जिसमें संवत् 2073 में फसल की गिरदावरी अंकित हैं। रेस्पोडेन्टगण की अन्य खातेदारी भूमि इसी आवंटित भूमि के पास स्थित हैं। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जावें।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अध्यनोपंरात अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज की छायाप्रतियां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत जारी नोटिस प्रारूप–क के अवलोकन से प्रार्थी का मौजा खुमाणपुर की आ.नं. 113/2 के रकबा 10 बिस्वा में वर्ष 1997 व 1999 में कब्जा करना प्रमाणित होता हैं। प्रस्तुत रसीदों की छायाप्रतियां अनुसार पेनाल्टी भी जमा कराई गई हैं। तहसीलदार गलियाकोट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.03.2019 के अनुसार प्रार्थी के खाते के ख.नं. 150 व 153 के उत्तर की तरफ करीब 08 बिस्वा भूमि प्रार्थी के हक में पडती हैं जिसको लेकर ही अपीलान्ट की उजरदारी हैं। जांच रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा के अवलोकन से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आ.नं. 150 व 153 से लगती हुई आगे की करीब 08 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित 2 बीघा भूमि में अपीलार्थी के खातेदारी खेत आराजी संख्या 150 व 153 के आगे स्थित विवादग्रस्त भूमि रकबा 08 बिस्वा का आवंटन बना रहने अपीलार्थी के हक में पड़ने वाली भूमि को लेकर जहां पक्षकारों में हमेशा विवाद बना रहेगा वहीं प्रार्थी के खातेदारी के उक्त खेतों में आवागमन भी

Scanned by CamScanner

बाधित होगा। विवादाग्रस्त 08 बिस्वा भूमि का आवंटन बना रहने से पक्षकारों में वाद–विविधता उत्पन्न होने की भी स्थिति बनी रहेगी। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अतिक्रमण के बाबत प्रार्थी को जारी धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस से भी प्रार्थी का कब्जा अप्रार्थीगण 1 एवं 2 के आवंटन से पूर्व से होना साबित होता हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूपेण स्वीकार करते हुए मौज खुमाणपुर तहसील गलियाकोट की आ.नं. 113/2 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम दिनांक 24.06.2002 को आवंटित रकबा 2–00 बीघा जिसका नवीन आराजी संख्या 1210/113/2 कायम हुआ हैं, में से प्रार्थी के खातेदारी खेत आ.सं. 150 व 153 के आगे की तरफ स्थित विवादग्रस्त भूमि रकबा 08 बिस्वा का आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गलियाकोट उक्त 08 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार बिलानाम अमलदरामद करें। रेस्पाडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम उक्त आराजी की शेष आवंटित भूमि रकबा 01 बीधा 12 बिस्वा यथावत रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

22/5/19

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

जिला कलक्टर डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner